पत्र संख्या–वि0व0संग्रह / 2019–20 / 663 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 27 अगस्त, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

माह जुलाई 2019 के माह तक वसूली लक्ष्य रु0 2679.52 करोड़ के सापेक्ष रु0 213.07 करोड़ प्राप्ति हुयी है जो लक्ष्य का 7.95 प्रतिशत है एवं इसी प्रकार गतवर्ष के सापेक्ष –88.01 प्रतिशत है जबकि वसूली हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है । यह स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है । आपको अवगत कराना है कि GST व्यवस्था लागू होने के पश्चात से पूर्व के बकायेदार कुल 383329 की संख्या में GST में माइग्रेट किये हैं। आप यह भी अवगत हों कि जो व्यापारी वैट एवं पूर्व की व्यवस्था में बकायेदार हैं एवं GST वाद में माइग्रेट हैं, उनके ऊपर रु0 12306.67 करोड़ का बकाया है । (पृष्ठ भाग पर धनराशि वर्गीकृत चार्ट उपलब्ध है) जैसाकि आप स्वयं विदित हैं कि प्रत्येक खण्ड के अधिकारीवार बकाया की सूचना व्यास सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध है जिसमें GST में माइग्रेट करने वाले व्यापारियों के बैंक एकाउण्ट, पैन कार्ड आदि महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध है ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि GST में माइग्रेट करने वाले समस्त बकायेदारों के विरुद्ध तत्काल साइटेशन जारी करते हुए प्रभावी वसूली कराना सुनिश्चित करें एवं उनके उपलब्ध खातों के अटैचमेंट की कार्यवाही करायें । यह कार्य प्राथमिकता से करते हुए दिनांक 09.09.2019 को कुल मामलों की संख्या एवं जारी किये गये साइटेशन की संख्या का विवरण तथा वसूल धनराशि का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

27/8/19

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर उ0 प्र0 ।

Classes	No. of Traders Migrated in GST	Amount (in core)
0 - 50000	246683	210.43
50000 - 1 lakh	37468	267.93
1 lakh -10 lakh	84484	2533.24
10 lakh - 1 crore	13656	3489.53
1 core - 10 core	937	2442.36
10 core -100 core	98	2249.41
above 100 core	3	1113.76
Total	383329	12306.67